



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166158

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7689/2026**

समीर हैदर

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : मुशीर खान

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 390 वर्ष 2025, धारा 319(2), 318(4), 336(2), 336(3), 338, 121(1), 61(2) बी.एन.एस., 2023 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-डी, थाना अलापुर, जनपद बदायूँ, में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है:-

- i- आवेदक का नगर पंचायत, अलापुर, जनपद बदायूँ से कोई संबंध नहीं है।
 - ii- आरोप यह है कि दिनांक 05.12.2025 से 20.12.2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक बोलियां आमंत्रित करने हेतु जारी की गई निविदा सूचना की अवधि सह-अभियुक्त, नगर पंचायत की अध्यक्ष हुमाबी तथा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित रूप से हस्ताक्षरित एक कूटरचित पत्र के माध्यम से बढ़ा दी गई थी।
 - iii- कूटरचित पत्र के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करने की समय-सीमा बढ़ाई गई तथा नगर पंचायत की लिपिक गर्गी गुप्ता को जारी डोंगल का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रणाली में उचित हेरफेर किया गया।
 - iv- आवेदक न तो नगर पंचायत का कोई अधिकारी है और न ही उसके पास गर्गी गुप्ता को जारी डोंगल तक पहुंच है।
 - v- आवेदक का दो अन्य प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है; तथापि, वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है।
- 4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने उसे बोलियां आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 20.12.2025 से बढ़ाकर 22.12.2025 करने के लिए विवश करने का प्रयास किया था और यह भी कहा है कि आवेदक के कब्जे में गर्गी गुप्ता का डोंगल था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि गर्गी गुप्ता ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि डोंगल का प्रयोग आवेदक द्वारा किया गया था, जो उसे अध्यक्ष के निर्देश पर दिया गया था। तथापि, उन्होंने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं किया है।
- 5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6- आवेदक को मुख्य अभियुक्त बताया गया है, जिसने कथित रूप से कंप्यूटर में प्रविष्टियों में हेरफेर किया और कूटरचित पत्र तैयार करवाया। यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि आवेदक का नगर पंचायत में कोई आधिकारिक पद नहीं है। उसे अध्यक्ष हुमाबी का भतीजा बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सह-अभियुक्त गर्गी गुप्ता, हुमाबी एवं फहीमुद्दीन के विरुद्ध दर्ज की गई है।

7- यद्यपि, आवेदक को मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, तथापि उक्त अपराध में आवेदक की संलिप्तता का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। दर्ज किए गए कंप्यूटर ऑपरेटर के बयान से भी यह संकेत नहीं मिलता है कि आवेदक को कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त थी अथवा उसने कंप्यूटर में कोई हेरफेर किया था। हुमाबी, अध्यक्ष ने इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बेल संख्या 3277 वर्ष 2026 में पारित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त आदेश को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11284 वर्ष 2026 में चुनौती दी गई तथा उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12.06.2026 के आदेश द्वारा सह-अभियुक्त हुमाबी की अगली तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

8- विवेचना अभी लंबित है और न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, सह-अभियुक्त गर्गी गुप्ता के इस इकबालिया बयान के अतिरिक्त कि आवेदक ने अध्यक्ष के निर्देश पर डोंगल का प्रयोग किया था, उक्त हेरफेर का कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है।

9- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बोली निरस्त किए जाने का आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत किया है।

10- न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में नगर पंचायत को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।

11- उपर्युक्तानुसार विवेचित प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रथमदृष्टया इस मत का है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनाया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13- आवेदक-समीर हैदर, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;
- iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

14- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

6 अगस्त, 2026

श्वेता

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”